भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 181

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

एनआईए का कार्यकरण

+181. श्री नन्दी एल्लैया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने अपना कार्यकरण आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां,तो विभिन्न देशों के विभिन्न भागों में सक्रिय उग्रवादी समूहों विशेषकर नक्सली समूहों के वित्तीय पहलू पर रोक लगाने हेतु एनआईए द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उक्त एजेन्सी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है तथा उसके द्वारा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उग्रवादी समूहों को सीधे अभियोजित करने की शक्तियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क): जी हां।

(ख): आतं कवादी वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में एक आतंकवादी वित्तपोषण और जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी) का गठन किया गया है। यह सेल आतंकवादी वित्तपोषण और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) के मामलों के आंकड़े रखता है। यह सेल एनआईए द्वारा जांच किए गए नियमित मामलों के आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी पहलुओं की भी आंशिक जांच करता है। भारत के विभिन्न भागों में सक्रिय नक्सली समूहों के आतंकवादी वित्तपोषण के लिए टीएफएफसी सेल ने नक्सली समूहों से जुड़े होने के संदेह वाले बैंक खातों के अनेक सत्यापन किए हैं। तथापि, अब तक सेल द्वारा की गई पूछताछ/जांच से विदित नक्सली समूहों के साथ संदिग्ध खातों के संबंध का पता नहीं चला है।

(ग) से (घ): राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जांच और अभियोजन के लिए एनआईए को मामले सौंपे जाते हैं। एजेंसी स्वतंत्र रुप से मामलों की जांच करती है। जांच के बाद, मामलों को एनआईए की विशेष अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एजेन्सी केन्द्र सरकार से मंजूरी लेती है। यूएपीए की धारा 45(2) के तहत गठित 'प्राधिकरण' की रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए के तहत मंजूरी प्रदान की जाती है।

*****